न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 17 सन 2019
अनवान :–

1. बजरंग सिह पुत्र हिम्मत सिह जाति राजपूत साकिन नहराना तहसील नोहर।

बनाम

1. हिम्मतसिह पुत्र भूरसिह जाति राजपूत निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. हरिसिह 3 राजवीर पि0 हिम्मतसिह जाति राजपूत निवासी नहराना तहसील नोहर।
3. राधा 5 संतोष कवंर 6 छोटू 7 अनीता कंवर 8 मोनिका कवंर पुत्रिया हिम्मतसिह जाति राजपूत साकिन नहराना तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 18.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 132/131 के खसरा न0 115/2 की 2.5990हैक , खसरा न0 206/2 की 4.0970हैक , खसरा न0 217/2 की 3.5280हैक कुल 10.224हैक भूमि हिम्मतसिह एवं रोही मोजा नहराना के खाता संख्या खाता संख्या 131/130 के खसरा न0 70 की 6.1960हैक , खसरा न0 205 की 10.2800हैक , खसरा न0 216 की 3.9710हैक , खसरा न0 216/293 की 1.7700हैक एव खसरा न0 264 की 1.6560हैक कुल 23.8730हैक भूमि में सयुक्त तौर से हिम्मतसिह के नाम से दर्ज है। वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा भूरसिह के नाम से दर्ज थी वादी के दादा भूरसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तान से वाद भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 जो वादी की बहने है ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 132/131 के खसरा न0 115/2 की 2.5990हैक , खसरा न0 206/2 की 4.0970हैक , खसरा न0 217/2 की 3.5280हैक कुल 10.224हैक भूमि जो हिम्मतसिह प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है एवं खाता संख्या 131/130 के खसरा न0 70/6.1960हैक , 216/3.9710हैक सयुक्त खाता में हिम्मतसिह प्रतिवादी ंख्या 1 के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मोजा नहराना के खाता संख्या खाता संख्या 131/130 के, खसरा न0 205 की 10.2800हैक , खसरा न0 216/293 की 1.7700हैक एव खसरा न0 264 की 1.6560हैक भूमि में सयुक्त तौर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से यथावत रहेगी । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official